आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...1/18	पत्रावली पेश हुई प्रश्नगत प्रा० पत्र इजराय के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम सूण्डा की ढाणी स्थित आ. ख० न. 286 रकबा 39 बीघा 11 बिस्वा भूमि हरिनारायण – धीसालाल नारायण – लादूराम पि. गणेश कौम ब्राह्मण सा. धानास की संयुक्त खातेदारी भूमि थी अर्थात प्रत्येक सहकृषक का उक्त आराजी में बराबर-बराबर हिस्सा निहित होकर 1/4 - 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड थी सहकृषक लादूराम पु० गणेश ने अपने हिस्से 1/4 का दि. 25.5.87 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र धीसालाल पु० भीवाराम कुमावत को एवं धीसालाल पु. गणेश ब्राह्मण ने अपने हिस्से 1/4 को दि. 25.5.87 को गुलाब चंद पु० रामनाथ अहीर गोकुलपुरा को विक्रय कर दिया गया जिनके आधार पर जरिए नामान्तरकरण सं. 11 एवं 12 दि. 27.6.87 से क्रेतागण के पक्ष में अमल दरामद किया गया इससे पूर्व ही सहकृषक हरिनारायण पु० गणेश द्वारा वाद सं. 41/86 न्यायालय उपखण्ड साँभरलेक में दि. 6.5.86 से विवादित ख० न. 286 एवं अन्य भूमियो सहित दावा इस्तकरार एवं स्थायी निषेधाज्ञा व बँटवारा प्रस्तुत कर हिस्सा 1/4 के अतिरिक्त रकबा 9 बीघा 02 बिस्वा अधिक भूमि का खातेदार घोषणा अनुतोष बाबत पेश किया जिसके निर्णय दि. 10.1.91 उपखण्ड न्यायालय साँभरलेक अनुसार वादी हरिनारायण को आ. ख० न. 286 का दक्षिणी भाग में 17 बीघा का खातेदार घोषित कर डिक्री पारित की गई जिसके तहत आ. ख. न. 286/2 रकबा 17.00 बीघा पर हरिनारायण पु० गणेश ब्राह्मण को खातेदार दर्ज रिकार्ड किया गया उक्त निर्णय दि. 10.1.91 से पूर्व दौराने वाद विवादित भूमि के 1/4 हिस्से के क्रेता धीसालाल पु. भीवाराम कुमावत द्वारा दि. 19.11.88 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपना हि. 1/4 का विक्रय नारायण सिंह पु. मूलसिंह कौम राजपूत के पक्ष में किया गया तथा नामान्तरकरण सं. 22 दि. 8.12.88 से क्रेता के पक्ष मे राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया गया इसके साथ ही सहकृषक नारायण पु. गणेश ब्राह्मण द्वारा विवादित भूमि मे अपने हिस्से 1/4 का विक्रय पत्र दि. 18.11.80 से चंदू देवी पत्नि गंगाराम कौम अहीर सा. गोविन्दपुरा को किया गया जिसके आधार पर नामान्तकरण सं. 23 दि. 8.12.88 से क्रेता के पक्ष मे राजस्व रिकार्ड मे अमल किया गया इस प्रकार विवादित भूमि ख० न. 286 रकबा 39 बीघा 11 बिस्वा	कैलाश चंद प्रियंका शर्मा

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	के बाबत् उपखण्ड न्यायालय साँभरलेक के वाद सं. 41/86 के नि. दि. 10.1.91 से पूर्व ही वादी हरिनारायण पु० गणेश ब्राह्मण के अति. अन्य शेष सहखातेदार हीरालाल - नारायण - लादूराम क्रमशः द्वारा अपना हक-हकूक 1/4 - 1/4 - 1/4 का विक्रय किया जा चुका था। माननीय न्यायालय उपखण्ड साँभरलेक के वाद सं. 41/86 निर्णय दि. 10.1.91 के विरुद्ध प्रथम अपील, विवादित भूमि के तीनों क्रेताओं द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प दूदू में क्रमशः 8/2007, 9/2007, 10/2007 प्रस्तुत की गई जिनके निर्णय दि. 27.12.07 द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड सांभरलेक का निर्णय दि. 10.1.91 अपास्त किया गया उक्त निर्णय दि. 27.12.07 के विरुद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में मृतक हरिनारायण पु० गणेश के वारिसान् द्वारा क्रमशः 447/2008, 448/2008, 449/2008, दायर की गई जिसे निर्णय दि. 20.7.16 द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के निर्णय दि. 27.12.07 को बहाल रखते हुए अपील खारिज की। माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय से पूर्व एवं राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के निर्णय दि. 27.12.07 से पूर्व ही अपीलार्थीगण के पिता हरिनारायण पु० गणेश ब्राह्मण द्वारा दि. 13.12.06 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, विवादित भूमि ख.न. 286 में से 16 बीघा भूमि कैलाश कँवर पत्नि बी० एस. राठोड़ जाति राजपूत नि. ग्राम सेवा वाया डीडवाना जिला नागौर को एवं एक बीघा भूमि प्रियंका पुत्री बजरंग लाल ब्राह्मण नाबालिग संरक्षक माता मुन्नी देवी पत्नि बजरंग लाल ब्राह्मण को विक्रय किया गया जिसका राजस्व रिकॉर्ड में स्थगन होने के कारण अमलदरामद नहीं हुआ।
	माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दि. 20.07.16 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान - जयपुर पीठ में याचिका सं. 1179/2017, 1181/2017, 1182/2017 प्रस्तुत की गई तथा इसी दौरान न्यायालय साँभरलेक उपखण्ड में वाद सं. 445/16 वादीगण कृष्णकँवर पत्नि दौलत सिंह, सूरजकँवर पत्नि करणी सिंह, मिथलेश कँवर पत्नि दशरथ सिंह, इन्दुबाला कँवर पत्नि गुलाब सिंह जाति राजपूत नि. भोजपुरकलां द्वारा विवादित ख.न. 286 रकबा 39 बीघा 11 बिस्वा के हिस्सेदार खातेदार गुलाब चंद पु. रामनाथ अहीर एवं चंदु देवी पत्नि गंगाराम अहीर नि. गोविन्दपुरा के हिस्सा 1/2 पर घोषणा का वाद प्रस्तुत हुआ।
Ⓦ उपखण्ड अधिकारी साँभर लेक	

Scanned by CamScanner

जिसके निर्णय दि· 4·7·17 द्वारा उक्त विवादित भूमि के खातेदार
गुलाब चंद पु· रामनाथ एवं चंदू देवी पत्नि गंगाराम के हिस्सा 1/2
पर वादीगण कृष्णाकँवर, सूरजकँवर, मिथलेशकँवर, इन्दुबालाकँवर को
संयुक्त खातेदार घोषित किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय
जयपुर पीठ में दायर की गई उक्त याचिकाओं के सन्दर्भ में
पक्षकारान् के मध्य 500/- रु स्टाम्प पर राजीनामा-समझौता
पत्र लिखित में होकर दि·9·2·18 को माननीय उच्च न्यायलय
में प्रस्तुत किया गया माननीय उच्च न्यायलय द्वारा निर्णय
दि·9·2·18 अनुसार, पक्षकारान् के मध्य हुए उक्त राजीनामें को
रिकार्ड पर लिया जाकर पक्षकारान् को राजीनामें अनुसार
शासित रखते हुए याचिका निस्तारित की गई

प्रार्थीगण दौलत सिंह- नरपतसिंह
कृष्णाकँवर, दशरथ सिंह, गुलाब सिंह, भंवरकंवर- किरणकँवर- करणी सिंह
सूरजकँवर चाँदकंवर, मिथलेश कँवर इन्दुबाला कँवर, द्वारा जरिये
अधिवक्ता विशेष कथन इजराय प्रा·पत्र के साथ प्रस्तुत कर
राजीनामें अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शा में
अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाने की इस्तदुआ की
गई इसके साथ ही कैलाश कँवर व प्रियंका शर्मा का सहमति
पत्र प्रस्तुत किया।

(उपरोक्त वर्णित तथ्यों, राजस्व रिकार्ड- विभिन्न प्रस्तुत
राजस्व न्यायलयों के निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया
गया जिससे स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि ख० न·286 वाके
ग्राम सूण्डा की ढाणी रकबा 39 बीघा॥ बिस्वा के मूल खातेदारान्
यथा हरिनारायण- धीसालाल- नारायण- लादूराम पि० गणेश
द्वारा सम्पूर्ण भू भाग का विक्रय किया जा चुका है तथा क्रेतागण
एवं डिग्रीदार दि·4·7·17 (वाद 445/16 न्यायलय उपखण्ड सांभरलेक)
के मध्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर पीठ
की याचिका सं· 1179/17, 1181/17, 1182/17 के तहत राजीनामा
दि·9·2·18 को रिकार्ड पर लिया जा चुका है लिहाजा लोक
अदालत की भावना से उक्त राजीनामा- समझौता पत्र एवं
सहमति पत्र के आधार पर वाके ग्राम सूण्डा की ढाणी तह०
फुलेरा के ख० न· 286 रकबा 39 बीघा॥ बिस्वा भूमि के

60

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | क्रम संख्या

उत्तरी भाग (संलग्न प्रमाणित राजीनामा नक्शा नजरी अनुसार) रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा, जिसके $\frac{197}{524}$ हिस्सा दौलत सिंह, नरपतसिंह, करणी सिंह, दशरथ सिंह, गुलाब सिंह पुत्रान नारायण सिंह, भँवरकंवर - चाँद कंवर - किरण कंवर - पुत्रीयान नारायण सिंह व० हिस्सा बराबर तथा $\frac{327}{524}$ हिस्सा श्रीमति कृष्णा कँवर पत्नि दौलत सिंह, श्रीमति सूरजकंवर पत्नि करणी सिंह, श्रीमति मिथलेश कँवर पत्नि दशरथ सिंह, श्रीमति इन्दुबाला कँवर पत्नि गुलाब सिंह व हिस्सा बराबर तथा उक्त खसरा नम्बर के दक्षिणी भाग (संलग्न प्रमाणित राजीनामा नक्शा) रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा, जिसके $\frac{247}{267}$ हिस्सा कैलाश कँवर धर्मपत्नि बी०एस० राठौड़ जाति राजपूत नि० ग्राम [illegible] वाया डीडवाना जिला नागौर एवं $\frac{20}{267}$ हिस्सा प्रियंका पुत्री बजरंग लाल नाबालिग सरंक्षक माता मुन्नी देवी धर्मपत्नि बजरंग लाल जाति ब्राह्मण नि० धानेस की हक हकूक खातेदारी में रहेगी राजीनामा - सहमति पत्र - राजीनामा के साथ संलग्न नजरी नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा तहसीलदार फुलेरा को तहरीर जारी होकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा किश्तवार में तरमीम किए जाने के आदेश जारी हो।

(हस्ताक्षर)
20/3/18
उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner